न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 2024/79 (वाद)
दायर दिनांक – 02/04/2024
निर्णय दिनांक – 03/04/2025

अनवान

1. मोहनी बाई पिता चेना पत्नि लालुराम भील निवासी दडवल, तहसील नाथद्वारा हाल भील बस्ती, मौलेला, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

वादीया

बनाम

1. पुरणलाल पिता चेना भील निवासी दडवल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 03/04/2025

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

: : निर्णय : :

वादीया ने जरिये अधिवक्ता वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम दडवल, पटवार हल्का शिशोदा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि आराजी संख्या 919, 920 कुल किता–02 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया के नाम 1/7 हिस्सा सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के खानदान का सजरा वादपत्र में अंकित है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां पूर्व में चेना पिता रूपा भील के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा खातेदार चेना की मृत्यु के पश्चात् विरासत से जरिये नामान्तरकरण संख्या 749 दिनांक 02.12.2021 को विरासत से वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं अन्य विधिक वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तत्पश्चात् अन्य विधिक वारिसान द्वारा जरिये हक त्याग प्रतिवादी संख्या 01 को उनके हक व हिस्से की कृषि भूमियां हक त्याग करने से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई परन्तु वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में टकुबाई अंकित कर दिया। वक्त विरासत वादीया का नाम घर एवं परिवार में बोलते नाम से अर्थात् वादीया को घर एवं परिवार में टकुबाई के नाम से ही जानी व पहचानी जाती है जबकि दस्तावेजों जैसे आधार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

कार्ड, जनआधार कार्ड में वादीया का नाम मोहनीबाई अंकित है जो वादीया राजस्व रेकर्ड में भी अपने नाम दस्तावेजों के आधार पर टकुबाई के बजाय मोहनीबाई अंकित कराना चाहती है तथा इसी आशय की घोषणा कराने की अधिकारी है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादी का नाम टकुबाई पिता चेना अंकित है जबकि वादीया का वास्तविक नाम मोहनीबाई पुत्री चेना है। उक्त नामों को लेकर भविष्य में कोई विवाद नही हो तथा दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग नाम नही हो इसलिये वादीया राजसव रेकार्ड में भी अपना नाम टकुबाई पुत्री चेना के बजाय मोहनीबाई पुत्री चेना अंकित कराने की अधिकारी है तथा इसी आशय की इन्द्राज दुरूस्ती कराने की भी अधिकारी है। वाद करण दिनांक 12.03.2024 को उत्पन्न हुआ जब वादीया ई मित्र पर पीएम किसान में फार्म भरने गई तो पता चला की जमाबंदी एवं दस्तावेज में नाम एक नही होने से पीएम किसान का फार्म नही भर सकती है जिस वादीया पटवारी हल्का के पास अपने नाम को शुद्धि कराने हेतु गई तो पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि सक्षम न्यायालय से अपने नाम को शुद्ध करा सकते है इसलिये वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात् मृतक खातेदार चेना के विधिक वारिस होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्व वाद में कोई प्रतिकर नही चाहा गया है। वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार नाथद्वारा भूमिधारी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में इस आशय की घोषणा की डिकी पारित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया के गलत नाम टकुबाई पुत्री चेना के बजाय अपना सही नाम मोहनी बाई पुत्री चेना जाति भील अंकित करा घोषणा फरमाया जावें तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की आज्ञा प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत कर वादीया का वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं वादीया के नाम की अशुद्धि को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि प्रतिवादी संख्या 01 के स्वीकारोक्ति के जवाब एवं सहमति

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

अनुसार प्रकरण में वादीया के सही नाम अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— : आदेश : —

अतः वादीया का वाद बाबत् घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम दडवल, पटवार हल्का शिशोदा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि आराजी संख्या 919, 920 कुल किता–02 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर भूमि में वादीया के गलत नाम टकुबाई पुत्री चेना को सही किया जाकर उसके बजाय वादीया को सही नाम मोहनी बाई पुत्री चेना जाति भील के नाम से खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

मूल वाद में डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 2024 / 79 (रे.वाद)

वादीपक्ष –

1. मोहनी बाई पिता चेना पत्नि लालुराम भील निवासी दडवल, तहसील नाथद्वारा हाल भील बस्ती, मौलेला, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादीपक्ष –

1. पुरणलाल पिता चेना भील निवासी दडवल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

दावा :– घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
वादी की ओर से – श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

मैं इस आशय में दिनांक 03 / 04 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीया का वाद बाबत् घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम दडवल, पटवार हल्का शिशोदा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि आराजी संख्या 919, 920 कुल किता–02 कुल रकबा 0.1011 हैक्टेयर भूमि में वादीया के गलत नाम टकुबाई पुत्री चेना को सही किया जाकर उसके बजाय वादीया को सही नाम मोहनी बाई पुत्री चेना जाति भील के नाम से खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 03 / 04 / 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द